

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:-आर.एच.आर.सी./मृतक बंदी/5/2014/ 12801-406 दिनांक:-२८/८६/१४
परिपत्र

उप महानिरीक्षक

कारागार रेञ्ज जोधपुर/जयपुर/उदयपुर

प्राचार्य

कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/

केन्द्रीय/जिला/कारागृह राजस्थान।

उपाधीक्षक महिला सुधार गृह

जयपुर/जोधपुर।

समस्त सहायक कारापाल,

उप कारागृह राजस्थान।

विषय:-मृतक बन्दी की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायःदेखने में आया है कि किसी भी कारण से बन्दी की मृत्यु हो जाने पर इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 24427-626 दिनांक 22.08.2013, 4297-400 दिनांक 01.05.2014 के द्वारा जिन पदाधिकारीयों को प्रति अनिवार्य रूप से भिजवाने बाबत् निर्देशित किये जाने के बावजुद सभी पदाधिकारीयों को सूचना प्रेषित नहीं की जाकर कुछ के नाम प्रति प्रेषित की जाती है।

सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभिन्न पदाधिकारीयों/कार्यालयों/आयोग द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है, अतः इस परिपत्र के माध्यम से पुनःनिर्देशित किया जाता है कि अग्रलिखित कार्यालयों में से यदि किसी भी कार्यालय को सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो होने वाली समस्त कार्यवाही तत्कालीन प्रभारी के विरुद्ध की जायेगी। अतः निम्न को आवश्यक रूप से सूचित करावे:

1. सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई-दिल्ली।

2. उप पंजीयक,राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर।
3. उप शासन सचिव गृह(गृप-12)विभाग,राज.जयपुर।
4. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज.जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक कारागार राज.जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संबंधित न्यायालय को मय मूल वारन्ट।
7. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट(डी.एम)उप जिला मजिस्ट्रेट।
8. निजी सचिव राज्य मंत्री कारागार राजस्थान सरकार जयपुर।
9. जिला बंदी कल्याण अधिकारी (प्रोबेशन ऑफिसर)
10. थानाधिकारी संबंधित पुलिस थाना।
11. बंदी के परीजनों को गृह पते पर।
12. नियन्त्रण कक्ष महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।

भवदीय

उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राज.जयपुर।
2. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, महानिदेशालय कारागार राज.जयपुर।

~~उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर~~